port of Maruti Udyog Ltd., envisages capacity of 100,000 vehicles a year by 1988-89 with an indigenous content of 95 per cent.

(c) The company has manufactured over 50,000 vehicles during 1985-86 compared to project report target of 40,000. The indigenisation level of the car has reached 36.92 per cent in March '86 and is expected to rise upto 68.75 per cent by March 1987.

(d) Does not arise.

**Setting up industries in Delicensed Sector by large industrial houses**

1379. SHRI RAMCHANDRA BHARADWAJ: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have decided to allow large industrial houses to set up industries in the delicensed sector without any approval under MRTP Act provided the new units are in 'no industry' districts; and

(b) if so, what are the main objects of this decision?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The Government has exempted delicensed industries from the requirement of obtaining an approval under the MRTP Act, 1969. The condition regarding the establishment of units in the no-industry districts is applicable only in respect of those delicensed industries which are not included in appendix-I to the I(DGR) Act, 1951 i.e., which are not otherwise open to large industrial houses as matter of general policy.

(b) The basic approach behind the measure is to channelise investment by the large industrial houses in the above industries which are either capital intensive in nature or are prone to risks or involve sophisticated technology or would result in the development of no-industry districts in the country.

**बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा लाइसेंस के बिना उत्पादन**

1380. **श्री हुक्म देव नारायण यादव :**
**डा० बापू कालदाते :**
**डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा बिना वैध लाइसेंस के ही उत्पादन किया जा रहा है और उन्होंने अपने उद्योगों का विस्तार और आधुनिकीकरण भी किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे औद्योगिक घरानों के नाम क्या हैं और इन उद्योगों के नाम क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

**औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्)** : (क) से (ग) नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने अथवा विद्यमान औद्योगिक उपक्रम का विस्तार करने के लिये उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन औद्योगिक लाइसेंस लेना आवश्यक है जब तक कि उस एकक को उक्त अधिनियम के अधीन जारी की गयी छूट संबंधी अधिसूचना द्वारा मुक्त न कर दिया गया हो। अधिनियम के उक्त प्रावधानों का उल्लंघन अधिनियम की धारा 24 के अधीन दण्डनीय है। ऐसे एककों के बारे में केन्द्रीय रुप से सूचनाएं नहीं रखी जाती जिन्होंने संभवतः अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करकेक्षमताओं की स्थापना की हो। किन्तु इस प्रकार के विशिष्ट मामलों की सूचना संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को मिलने पर इन मंत्रालयों द्वारा अधिनियम के उपबंधों अनुसार कार्यवाही करने पर विचार किया जा सकता है।

**Power Projects in Maharashtra**

1381. SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Will the Minister of ENERGY be pleased to state: